


निमा०/१९२६/२०१२/रुप०५८०/१२३०

न्यायालय श्रीमा न् राजस्व मुण्डल गवालिघर सर्किट कोर्ट ,

रीता ₹५००००



- १४ रामलक्ष्म उर्फ मरपना पिता स्व० शिवनाथ तेली,
 १८ रामनरेश पिता स्व० शिवनाथ तेली ,
 ३४ सुकमा बेंचा शिवनाथ तेली ,
 तीनों नि० - ग्राम सहुआर , तह० देवसर , जि० सिंगरौली,

₹५००००

— निगरानी कर्तार्गण

- १४ अनन्ते पिता छैब बेलखडी साह० ,
 १८ कामता पिता बेलखडी साह० ,
 ३४ रामकरण पिता बेलखडी साह० ,
 ४४ जयकरण पिता बेलखडी साह० , सभी नि० ग्रा० सहुआर ,
 तह० देवसर , जि० सिंगरौली ₹५०००० — गैरनिगरानी कर्तार्गण

अधिकता की छैब के
 निभा क्वारी ५२५२
 रोटा. दिनांक १५.५.२०१२

Amrit
15.5.12

निगरानी विस्तृद्ध आदेश न्याया० अपर कलेक्टर
 जिला सिंगरौली ₹५०००० द्वारा प्रकरण क्र० 366/
 निम०/२०१०-११ , पारित आदेश दि० २१-०३-१२ .

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भ०रा०स०

महोदय,

सिंगरौली आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

१४ यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया स्वं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

१८ यह कि छैब नामांतरण पंजी में हुए नामांतरण आदेश की अपील न्यायालय उपर्युक्त अधिकारी देवसर , जि० सिंगरौली ₹५०००० को भेदालत में लम्बित थी , जिसमें नामांतरण पंजी वर्ष १९९३-९४ की पृष्ठिक्रिया क्र०- १४ दिनांक १७-०२-१९९४ में पारित आदेश के क्रिया

(16)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1926/20/2012..... जिला-मिसगढ़ाली

रामल्लरवा उक्त मरपनी विरुद्ध अनन्ते द्याहु

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...रुद्र...के...निम्न...अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला-<u>मिसगढ़ाली</u> के प्रकरण क्रमांक..366/निम्न/10.11..... में पारित आदेश दिनांक..21-03-2012..के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहप्रिति संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..02-03-19..को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	